न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

प्र0कं0–निगरानी /16 सीहोर

(1) **खुशीलाल** पुत्र श्री रंजीत सिंह
(2) **दिलीप सिंह** पुत्र श्री रंजीत सिंह
(3) **प्रहलाद** पुत्र श्री माखन सिंह
(4) **मिश्रीलाल** पुत्र श्री माखन सिंह
(5) **द्वारका प्रसाद** पुत्र श्री श्रीराम
(6) **अचल सिंह** पुत्र श्री श्रीराम
निवासीगण–ग्राम मुबारकपुर, तह0–आष्टा,
जिला–सीहोर (म0प्र0) ---- **निगरानीकर्तागण**

विरुद्ध

पदम पुत्र श्री रामा चमार
निवासीगण–ग्राम मुबारकपुर, तह0–आष्टा,
जिला–सीहोर (म0प्र0) ---- **प्रत्यर्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

विद्वान राजस्व निरीक्षक महोदय, मंडल–04 कोठरी तहसील आष्टा द्वारा प्र0कं0–96/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनाँक निरंक सीमांकन दिनांक 09.06.2016 जिसके द्वारा उन्होंने विधि विरुद्ध कागजी सीमांकन की कार्यवाही की जाकर खानापूर्ति करते हुये पंचनामा आदि सहित प्रतिवेदन दिनांक निरंक श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार महोदय तहसील आष्टा जिला सीहोर को प्रेषित किया, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर मय धारा–48 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने राजस्व निरीक्षक मंडल–04 कोठरी को अपनी कृषि भूमि स्थित ग्राम मुबारकपुर के खसरा कं0–283/44/2 रकबा 1.70 हे0 प0ह0नं0–041 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से

निरंतर...2..

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2808–दो/16 जिला –सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री मेहरबान सिंह उपस्थित होकर उनके द्वारा यह प्रकरण राजस्व निरीक्षक मंण्डल–4 कोठरी तहसील आष्टा का प्रकरण कमांक 96/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक निरंक सीमांकन दिनांक 9.6.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक पदम पदम पुत्र श्री रामा चमार निवासी ग्राम मुबारकपुर तहसील आष्टा द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल–4 कोटरी को अपनी कृषि भूमि स्थित ग्राम मुबारकपुर के खसरा कमांक 283/44/2 रकवा 1.70 है0 प.ह.न. 041 के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से राजस्व निरीक्षक ने सूचना पत्र जारी किया, जिस पर पटवारी द्वारा नोटिस लेने से इनकार किया की टीप लगाई। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन अतिरिक्त तहसीलदार तहसील आष्टा जिला सीहोर को प्रस्तुत किया, जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि सीमांकन हेतु नोटिस जारी किया था जिसे काटकर दिनांक 9.6.16 किया गया जिस पर मात्र पूरब दिशा के भूमि स्वामियों निगरानीकर्ता ग्राम मुबारकपुर एवं ग्राम मुगली निवासी अन्–2 को एक ही सूचना पत्र जारी किया गया, जिस पर पटवारी द्वारा अनावेदक ने नोटिस लेने से इनकार करने की टीप अंकित की है। मेढ़ पड़ोसी लगे हुये खसरा	

नंबर के भूमि स्वामियों को सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी। सीमांकन प्रतिवेदन के साथ संलग्न पंचनामे पर आवेदकगण के पुत्र तथा दो पोत्रों एवं ग्राम चौकीदार के हस्ताक्षर कराये गये हैं। अनावेदक ने तहसील न्यायालय में आवेदकगण के विरूद्व बेदखली हेतु धारा–250 का दावा प्रस्तुत किया, जिसमें नियत दिनांक 22.6.16 नियत थी। तहसील न्यायालय में उक्त सीमांकन की कार्यवाही का पता आवेदकगण को लगा। उनके द्वारा तर्क किया गया है कि धारा 129 के तहत सीमांकन की सूचना सभी मेढ़ पड़ोसियों को दी जानी चाहिये जो उनके द्वारा नहीं दी और चोरी छिपे सीमांकन कराया गया है जो विधि प्रावधानों के विपरीत है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन दिनांक 9.6.16 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा संलग्न प्रकरण में दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अधिवक्ता ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है।

5– अवलोकन से स्पष्ट है कि जो दिनांक 9.6.16 का नोटिस जारी किया गया है उसमें पूर्व में 27.5.16 नियत पेशी काटे जाने के पश्चात दिनांक 9.6.16 नियत की गई है और पटवारी द्वारा केवल चौकीदार के हस्ताक्षर कराये गये है अन्य किसी व्यक्ति के गवाह के रूप में नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं हैं । अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक का सीमांकन का आदेश दिनांक 9.6.16 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायब तहसीलदार आष्टा को प्रत्यावर्तित किया जाता है। उनके निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर देते हुये एवं सीमांकन की टीम गठित कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें । निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर निराकृत की जाती है।

सदस्य